मतदाता जागरूकता अभियान में सहयोग के लिये बनेंगे कैंपस एंबेसडर

चर्चा में क्यों?

29 मई, 2022 को मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त बंसत प्रताप सिंह ने कलेक्टर एवं ज़िला निर्वाचन अधिकारियों को नगरीय निकायों एवं त्रिस्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन, 2022 के लिये मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक करने, मतदान की अपील तथा आयोग द्वारा किये गए नवाचारों की जानकारी देने के लिये 'मतदाता जागरूकता अभियान' प्रारंभ करने का निर्देश दिया।

प्रमुख बिंदु

- उन्होंने अधिकारियों को 'मतदाता जागरूकता अभियान' के तहत मतदाताओं को प्रेरित/जागरूक करने के लिये स्थानीय महाविद्यालयों/ विश्वविद्यालयों से कुछ विद्यार्थियों को, जो कि नेतृत्व प्रदान कर सकते हैं, को कैंपस एंबेसडर **(Campus Ambassador)** नियुक्त करने का निर्देश भी दिया।
- कैंपस एंबेसडर का चयन ज़िला निर्वाचन अधिकारी द्वारा उनकी निष्पक्ष, स्वच्छ एवं गैर-राजनीतिक छवि को चिह्नित कर महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों के प्राचार्य, उप-कुलपति द्वारा प्रदान की गई सूची के आधार पर किया जाएगा।
- ज़िला निर्वाचन अधिकारी अपने स्तर पर एन.सी.सी./एन.एस.एस. के सहयोग से भी नियुक्ति कर सकते हैं।
- कैंपस एंबेसडर का चयन केवल एक शैक्षणिक सत्र के लिये किया जाएगा। सह-शिक्षा (Co-**Education)** महाविद्यालयों में 2 कैंपस एंबेसडर (एक छात्र एवं एक छात्रा) का चयन किया जाएगा।
- कैंपस एंबेसडर की संबद्धता किसी भी राजनीतिक दल या उनकी संलग्नता किसी राजनीतिक गतिविधि में नहीं होनी चाहिये। कैंपस एंबेसडर के परिवार का संबंध किसी भी राजनीतिक दल या राजनीतिक गतिविधि से नहीं होना चाहिये।
- कैंपस एंबेसडर के विरुद्ध आचरण एवं व्यवहार संबंधी किसी भी तरह की शिकायत प्राप्त होने की स्थिति में संस्था प्रमुख तत्काल जाँच कर उपयुक्त कार्यवाही करेंगे। प्रत्येक कैंपस एंबेसडर का पुलिस सत्यापन ज़िला प्रशासन द्वारा किया जाना अनिवार्य होगा।
- कैंपस एंबेसडर मतदाताओं को मतदान की प्रक्रिया तिथियों तथा आयोग द्वारा किये गए विभिन्न नवाचारों आदि की जानकारी देंगे। स्कॉउट-गाइड, राष्ट्रीय सेवा योजना **(NSS)**, राष्ट्रीय कैडेट कोर **(NCC)** एवं अशासकीय संगठनों **(NGO)** के साथ समन्वय कर मतदाता जागरूकता में उनका सहयोग प्राप्त करेंगे।
- मतदाता जागरूकता अभियान **(SENSE)** की गतिविधियों के संचालन के लिये सक्रिय सदस्यों का एक दल बनाकर मतदाताओं को जागरूक करेंगे।
- ज़िला निर्वाचन अधिकारी कैंपस एंबेसडर की नियुक्ति के पश्चात् उन्हें उनकी भूमिका, दायित्वों, उनके द्वारा किये जाने वाले कार्यों, गतिविधियों, लक्ष्यों, संभावित उपलब्धियों तथा कार्ययोजनाओं से अवगत कराएंगे तथा उन्हें संक्षिप्त प्रशिक्षण प्रदान करेंगे। ज़िला निर्वाचन अधिकारी कैंपस एंबेसडर को मतदाता जागरूकता अभियान कार्य के लिये यथायोग्य सामग्री, मार्गदर्शन एवं सहयोग देंगे।
- ज़िला निर्वाचन अधिकारी समय-समय पर संपन्न की जाने वाली विभिन्न गतिविधियों का आकलन करेंगे एवं प्रतिवेदन प्राप्त करेंगे। **SENSE** की गतिविधियों के लिये नियुक्त किये गए नोडल अधिकारी समय-समय पर प्रतिवेदन (फोटोग्राफ्स सहित) आयोग को भेजेंगे।
- ज़िला स्तर पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले कैंपस एंबेसडर को चिह्नित कर उनके नाम की अनुशंसा की जाएगी तथा राष्ट्रीय पर्व पर आयोजित समारोह में प्रशस्ति-पत्र प्रदान कर सम्मानित किया जाएगा।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/campus-ambassadors-to-collaborate-in-voter-awareness-campaign